विषयः— **मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (CHEERAG) स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले देने बारे दिशा—निर्देश।**

1. उक्त योजन कक्षा 2 से 12 तक लागू होगी।
2. इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त/उत्तीर्ण की होगी।
3. छात्र दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खण्ड जिसमें वे पढ़ रहे हैं उसी खण्ड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होगें तथा वे खण्ड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षानुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वैबसाईट पर दर्शाया जाएगा।
5. सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय कक्षानुसार घोषित सीटों की जानकारी अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।
6. अभिभावक/छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 01.07.2022 से 08.07.2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
7. जिन विद्यालयों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में दिनांक 11.07.2022 को लॉटरी ड्रा अभिभावकों की उपस्थिति में निकाला जाएगा।
8. मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय दिनांक 12.07.2022 से 21.07.2022 तक दाखिले की प्रकिया सम्पन्न करेंगे तथा सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शायेंगे।
9. लॉटरी ड्रा के पश्चात् मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले दिनांक 22.07.2022 से 27.07.2022 तक किये जाएंगे।
10. इस दाखिला अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विद्यालयों में विभागीय मनोनीत सदस्य नियुक्त करेंगे। जिसके लिए वह विद्यालय के नजदीक के खण्ड शिक्षा अधिकारी/सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य/मुख्याध्यापक/पी.जी.टी./अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकता है।
11. प्राईवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय 1 लाख 80 हजार रूपए एवं इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा तथा वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी।
12. जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक/छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा वह विद्यालय अभिभावक/छात्र को पावती (रसीद) अवश्य देगा।
13. सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) लिया जाना अनिवार्य होगा।
14. दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आई.डी—परिवार पहचान पत्र (PPP No.) का होना अनिवार्य है।
15. फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होगें जिन द्वारा फार्म—VI में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शायी गई होगी।
16. विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का डेटा MIS पोर्टल पर दाखिले की तिथि से दो दिन के अन्दर—अन्दर ही अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा।
17. विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को दाखिले की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर—अन्दर भेजनी होगी।

उपरोक्त दिशा—निर्देश सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी की जा रही है।